

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या-2(गो०)सी० (कोर्ट)-12/2018

कृ०/पटना, दिनांक

2019

आदेश

पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-224 दिनांक-17.08.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्प), सारण प्रमंडल, छपरा के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धन अर्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, थाना कांड संख्या-03/17 दिनांक 17.08.2017 धारा-13 (2) सह-पठित 13 (1) (e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 दर्ज किया गया। उक्त आरोप के लिए विभागीय आदेश संख्या-960 दिनांक 25.09.2017 द्वारा निलंबित किया गया।

श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्प), सारण प्रमंडल, छपरा के सेवा निवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2019 रहने की स्थिति में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सेवा निवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2019 के अपराहन से निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्प), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित को दिनांक-31.01.2019 के अपराहन के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्प), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 961 दिनांक 25.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई सम्प्रति विभागीय कार्यवाही में संचालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

चूंकि श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्प), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित दिनांक-31.01.2019 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

अतः इस आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री रजक के विरुद्ध वर्णित आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही को सम्परिवर्तित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुधीर कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि— अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि— श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग—सह—अपर विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना/श्री अरुण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना—सह— प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि— श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि— पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, सारण/भागलपुर/संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री कृषि, के आप्त सचिव/कृषि निदेशक/विशेष सचिव/उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक

५१

/कृ०, पटना, दिनांक

31-01-2019

प्रतिलिपि— आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

31/01/19